

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर

(दूरभाष नम्बर:-0141-2740735 फैक्स नम्बर:- 0141-2742309)

क्रमांक :-एफ.3(ख)(के-377/83)लिंक नं.9083/अलेसे-11/6601-07 दिनांक :- 05-09-2014

कार्यालय आदेश

श्री कैलाश चन्द अरोडा, लेखाकार कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रशासन), मुख्यालय वाणिज्य कर विभाग विभाग जयपुर जिनकी जन्म तिथि 09.02.1955 व राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति 29.08.1984 है को उनके आवेदन पत्र दिनांक 22.07.2014 के द्वारा चाहेनुसार राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 50 (1) के अन्तर्गत दिनांक 11.11.2014 को मध्याह्न पश्चात से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त किये जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री कैलाश चन्द अरोडा, लेखाकार के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के अन्तर्गत आज दिनांक तक विभागीय जांच लम्बित/प्रस्तावित नहीं है।

श्री 5.9.2014
(भास्कर शर्मा)
निदेशक

6601-6607

क्रमांक :-एफ.3(ख)(के-377/83)लिंक नं.9083/अलेसे-11/ दिनांक :- 05-09-2014
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 1 निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राज. जयपुर
- 2 सहायक आयुक्त (प्रशासन), मुख्यालय, वाणिज्य कर विभाग, राजस्थान जयपुर
- 3 श्री कैलाश चन्द अरोडा, लेखाकार कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रशासन), मुख्यालय, वाणिज्य कर विभाग, राजस्थान जयपुर
- 4 निजी सहायक निदेशक महोदय
- 5 गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट

6 निजी/गार्ड फाईल

7 उप निदेशक (A.C.P.) कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।

(के. एम. मीणा)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)